



RAS

राजस्थान प्रशासनिक सेवा

राजस्थान लोक सेवा आयोग

भाग - 3

भारत का इतिहास



RAS

भारत का इतिहास

क्र.सं.	अध्याय नाम	पृष्ठ सं.
प्राचीन इतिहास		
1.	सिंधु घाटी सभ्यता	1
2.	वैदिक काल	7
3.	जैन धर्म और बौद्ध धर्म	14
4.	महाजनपद, मौर्य और मौर्योत्तर युग	20
5.	गुप्त एवं गुप्तोत्तर राजवंश	31
6.	चोल, चालुक्य और पल्लव राजवंश	37
7.	कला एवं वास्तुकला में प्राचीन भारत	42
8.	प्राचीन भारत में भाषा और साहित्य	53
मध्यकालीन इतिहास		
1.	दिल्ली सल्तनत (1206-1526 AD)	59
2.	विजयनगर साम्राज्य	69
3.	मुगलकाल (1526-1857)	73
4.	मध्यकालीन काल में कला और वास्तुकला	83
5.	भक्ति और सूफी आंदोलन	87

आधुनिक इतिहास

1.	1857 के पूर्व प्रशासन	96
2.	1857 का विद्रोह	100
3.	1858 के पश्चात् प्रशासनिक परिवर्तन	106
4.	शिक्षा एवं प्रेस का विकास	108
5.	सामाजिक-धार्मिक सुधार आंदोलन	114
6.	राष्ट्रवाद का जन्म (मध्यम चरण: 1885-1905)	127
7.	उग्रवादी राष्ट्रवाद का युग / चरमपंथी चरण	132
8.	जन आंदोलन: गांधीवादी युग (1917-1925)	145
9.	स्वराज के लिए संघर्ष (1925-1939)	155
10.	स्वतंत्रता की ओर (1940-1947)	173
11.	स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण	183
12.	महत्वपूर्ण व्यक्ति और घटनाएँ	192

पिछले वर्षों में पूछे गये प्रश्न

- Q.1 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितम्बर 1920 कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था और जिसमें असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव पारित किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे ? (2023)
- (1) दादाभाई नौरोजी (2) मौलाना अबुल कलाम आजाद
(3) लाला लाजपत राय (4) विजय राघवाचारी
(5) अनुत्तरित प्रश्न
- Q.2 केंद्रीय विधानसभा के निम्नलिखित चुनाव/चुनावों में से कौन सा/से भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत आयोजित किया गया था? (2018)
- (A) 1926 (B) 1937 (C) 1945
- नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए:
- (1) केवल (A) (2) (B) और (C)
(3) (A) और (C) (4) (A), (B) और (C)
- Q.3 निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम चुनिये: (2018)
- (i) लखनऊ समझौता (ii) स्वराज पार्टी का गठन
(iii) जलियाँवाला नरसंहार (iv) बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु
- निम्नलिखित कोड से उत्तर का चयन कीजिये:
- (1) (i), (iv), (iii) और (ii) (2) (iv), (iii), (i) और (ii)
(3) (i), (iii), (iv) और (ii) (4) (i), (ii), (iii) और (iv)
- Q.4 भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में गलत कथन को पहचानिये: (2016)
- (1) 1921 में भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ।
(2) इस अधिनियम को मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है।
(3) मोंटेग्यू भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे।
(4) यह अधिनियम केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को अलग करता है।

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन (1915-1940) का विश्लेषण:

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन RAS परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर वर्ष एक या एक से अधिक प्रश्न इस विषय से पूछे जाते हैं। सामान्यतः प्रश्न कांग्रेस के सत्र, घटनाओं की समयावली और समझौतों, एवं भारत सरकार अधिनियम (1919, 1935) से जुड़े होते हैं।

यह अध्याय RAS मुख्य परीक्षा के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है, जहाँ अभ्यर्थियों की व्यापक समझ का परीक्षण किया जाता है। इसलिए मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आंदोलन के कारणों, महत्व, और उनकी कमजोरियों (जैसे असहयोग-खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन) पर केंद्रित होना चाहिए।

गांधी युग की मुख्य विशेषता जन-आंदोलन के रूप में जानी गई। इससे पहले, राष्ट्रवादियों की गतिविधियाँ कुछ बुद्धिजीवियों और समूहों तक ही सीमित थीं। लेकिन, गांधीजी के आगमन के साथ ही, राष्ट्रीय आंदोलन ने एक नया मोड़ ले लिया। इसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत की। गांधीजी के नेतृत्व में, भारतीय एकजुट होकर अपने साझा दुश्मन के खिलाफ खड़े हुए।

गांधीजी का प्रारंभिक जीवन

- जन्म: 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ।
- शिक्षा: लंदन में कानून की पढ़ाई की और 1898 में दक्षिण अफ्रीका के नेटाल में एक कानून फर्म में काम करने गए।
- दक्षिण अफ्रीका: यहीं पर यूरोपियों या गोरे लोगों द्वारा उनके साथ किए गए रंगभेद से उनके विचार विकसित हुए और विचारों में परिवर्तन आया।
- पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन घटना (7 जून, 1893): प्रिटोरिया की अपनी यात्रा के दौरान, प्रथम श्रेणी का टिकट होने के बावजूद, गांधी को अपनी नस्ल के कारण तृतीय श्रेणी के डिब्बे में जाने को कहा गया। उनके इनकार करने पर, उन्हें पीटरमारिट्सबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया।
- ट्रेन की घटना ने गांधीजी को एशियाई और अफ्रीकियों के साथ किए गए रंगभेद से स्तब्ध और क्रोधित कर दिया। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ने में सक्षम होने हेतु भारतीय श्रमिकों को संगठित किया और दक्षिण अफ्रीका में रहने का फैसला किया।

गांधीजी का संघर्ष दक्षिण अफ्रीका में

संघर्ष का उदारवादी चरण (1894-1906)

- याचिकाएं और समाचार पत्र: गांधीजी ने दक्षिण अफ्रीका और ब्रिटेन के अधिकारियों को याचिकाएं भेजीं ताकि उन्हें भारतीयों की दुर्दशा के बारे में बताया जा सके और उम्मीद की जा सके कि वे उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए ईमानदारी से कदम उठाएंगे।
- 1894 में गांधीजी ने नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की।
- इंडियन ओपिनियन: 1903 में, उन्होंने भारतीयों के विभिन्न वर्गों को एकजुट करने और उनकी शिकायतें सरकार के समक्ष रखने के लिए एक समाचार पत्र "इंडियन ओपिनियन" (हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती और तमिल में) शुरू किया। इस पत्र में पहली बार "सत्याग्रह" शब्द का प्रयोग किया गया था।
- फीनिक्स आश्रम: 1904 में, उन्होंने फीनिक्स आश्रम की स्थापना की, यहीं पर उन्होंने अपनी पहली पुस्तक 'इंडिया होम रूल' (अंग्रेजी में) प्रकाशित की। इस आश्रम में उनके कुटीर को "सर्वोदय" कहा जाता था।

अहिंसात्मक प्रतिरोध या सत्याग्रह का चरण (1906-1914)

- सत्याग्रह: उन्होंने निष्क्रिय प्रतिरोध या सविनय अवज्ञा को अपनाया, जिसे सत्याग्रह कहा जाता था। उन्होंने कई मुद्दों के खिलाफ अभियान चलाया जैसे:
 - ✓ पंजीकरण प्रमाणपत्रों के खिलाफ सत्याग्रह (1906): इसके तहत भारतीयों को हमेशा अपने पंजीकरण प्रमाणपत्र (Registration Certificate) साथ रखना अनिवार्य कर दिया था | यह एक भेदभावपूर्ण नियम था जिसे महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के माध्यम से चुनौती दी।
 - ✓ भारतीयों की प्रवासन पर प्रतिबंध के विरुद्ध: गांधीजी और उनके समर्थकों ने इस कानून को न मानते हुए, बिना लाइसेंस के एक प्रांत से दूसरे प्रांत में यात्रा की।

- ✓ पोल टैक्स और भारतीय विवाहों को अवैध ठहराने के खिलाफ: ब्रिटिश सरकार ने पूर्व-ठेका भारतीयों (जो श्रमिक के रूप में काम करने के लिए लाए गए थे) पर पोल टैक्स (मतदान कर) लगाया। इसके अलावा, एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उन सभी विवाहों को अवैध ठहरा दिया गया, जो ईसाई रीति-रिवाजों के अनुसार नहीं हुए थे। इन नियमों ने भारतीयों को बहुत गुस्से में कर दिया, और गांधीजी के नेतृत्व में उन्होंने इसका विरोध किया।
- ✓ गांधीजी ने ट्रांसवाल इमिग्रेशन एक्ट के खिलाफ भी विरोध किया, और नैटाल से ट्रांसवाल में अवैध रूप से प्रवास किया।

महात्मा गांधी की सत्याग्रह तकनीक

- इसके मूल सिद्धांतों में शामिल हैं -
तीन मूल सिद्धांत: सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह।
असहयोग और बहिष्कार: सत्याग्रह के महत्वपूर्ण हथियार।
- दुख स्वीकार करना: संघर्ष के समय गलत करने वालों के खिलाफ दुख स्वीकार करना।
- द्वेष नहीं: दुश्मन के प्रति भी द्वेष नहीं रखना।
- सही मार्ग का पालन: हमेशा सही मार्ग का पालन करना और बुराई के आगे कभी नहीं झुकना, चाहे परिणाम कुछ भी हो।
- साधन उतना ही आवश्यक जितना साध्य

महात्मा गांधी का भारत आगमन

- भारत वापसी: जनवरी 1915 में, वह भारत लौटे।
- देश का दौरा: अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले की सलाह पर, उन्होंने कम से कम एक वर्ष तक किसी भी मामले में राजनीतिक गतिविधि में शामिल नहीं होने और जनता की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए देश का दौरा करने का फैसला किया।
- होम रूल आंदोलन: गांधीजी होम रूल आंदोलन के पक्ष में नहीं थे क्योंकि उसी समय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन भी युद्ध में शामिल था। उन्होंने राष्ट्रवादी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अहिंसक सत्याग्रह का समर्थन किया।
- तीन संघर्ष: 1917 और 1918 के दौरान, वे चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में तीन संघर्षों में शामिल थे

चंपारण सत्याग्रह (1917)- प्रथम सविनय अवज्ञा

- चंपारण सत्याग्रह: यह गांधीजी का भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन था।
- तिनकाठिया प्रथा: स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधीजी को उनके मुद्दों को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि यूरोपीय बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों को अपनी भूमि के 3 / 20 हिस्से पर नील की खेती करने के लिए मजबूर किया, जिसे तिनकाठिया प्रथा के रूप में जाना जाता है, और इसे निर्धारित कीमतों पर बेचना पड़ता था।
- चंपारण यात्रा: गांधीजी राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल-हक, महादेव देसाई, नरहरी पारेख और जे.बी. कृपलानी के साथ चंपारण पहुंचे ताकि इस मामले की जांच की जा सके।
- सरकारी समिति: सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की और गांधीजी इस समिति के सदस्य थे। उन्होंने सफलतापूर्वक तिनकाठिया प्रथा के उन्मूलन का तर्क दिया और किसानों के लिए आंशिक मुआवजा हासिल किया। यह घटना भारत के सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधीजी की पहली जीत का प्रतीक थी।
- तिनकाठिया प्रथा का उन्मूलन: गांधीजी ने अधिकारियों को यह समझाने में कामयाबी हासिल की कि तिनकाठिया प्रथा को समाप्त कर दिया जाना चाहिए और किसानों को उनसे अवैध रूप से लिए गए धन के लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए (केवल 25% धन का हिस्सा किसानों को लौटाने पर राजी हो गए)।

अहमदाबाद मिल हड़ताल (1918)

- अहमदाबाद सत्याग्रह: यह गांधीजी की भारत में पहली भूख हड़ताल थी।
- मजदूरों का संघर्ष: मार्च 1918 में, गांधीजी ने अहमदाबाद के कपड़ा मिल के मजदूरों का प्लेग बोनस बंद करने के मुद्दे पर समर्थन किया। मिल मालिक बोनस बंद करना चाहते थे, लेकिन मजदूरों ने ब्रिटेन के प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने के कारण युद्धकालीन मुद्रास्फीति के चलते अपनी मजदूरी में 50% की वृद्धि की मांग की।
- मिल मालिकों का निर्णय: मिल मालिक 20% वेतन वृद्धि के लिए सहमत हुए। इसलिए, मजदूरों ने हड़ताल कर दी।
- अनुसूया बेन का अनुरोध: मजदूरों ने अनुसूया बेन जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और अंबालाल साराभाई की बहन थी, उन्होंने एक मिल मालिक और अहमदाबाद मिल ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष से मदद मांगी। अनुसूया बेन ने गांधी से हस्तक्षेप करने के लिए कहा, यह मानते हुए कि मिल मालिकों और श्रमिकों दोनों द्वारा गांधीजी का सम्मान किया जाता है।
- गांधीजी का निर्णय: गांधीजी ने स्थिति का विश्लेषण करने के बाद मजदूरों से हड़ताल करने और 50% के बजाय 35% वेतन वृद्धि की मांग करने को कहा। गांधीजी ने मजदूरों से हड़ताल के दौरान अहिंसा की रणनीति का पालन करने को कहा।
- ट्रिब्यूनल का फैसला: हड़ताल के चौथे दिन, ट्रिब्यूनल ने अपना निर्णय दिया, जिसमें मजदूरों को 35% वेतन वृद्धि प्रदान की गई।

खेड़ा सत्याग्रह (1918)

- खेड़ा सत्याग्रह: यह गांधीजी का भारत में पहला असहयोग आंदोलन था।
- किसानों की मांग: 1918 में सूखे और बाद में फसल के खराब होने के कारण, गुजरात के खेड़ा जिले के किसान राजस्व कर के निलंबन की मांग कर रहे थे। लेकिन सरकार ने किसानों की मांग को अस्वीकार कर दिया।
- गांधीजी का समर्थन: गांधीजी ने इस मुद्दे पर किसानों का समर्थन किया और किसानों से कर न देने को कहा।
- सरदार पटेल का नेतृत्व: असहयोग का नेतृत्व सरदार वल्लभभाई पटेल ने नरहरी पारेख और रवि शंकर व्यास के साथ किया। अंततः, सरकार किसानों की मांग से सहमत हो गई और केवल उन किसानों से कर वसूल करने के लिए तैयार थी जो भुगतान कर सकते थे।

इन तीन घटनाओं का महत्व

- इन आंदोलनों ने गांधीजी की राजनीतिक शैली और पद्धति को प्रदर्शित किया।
- इन आंदोलनों ने गांधीजी को राज्य और जनता के मामलों का अध्ययन करने का अवसर दिया और इस प्रकार गांधीजी को देश की जनता की ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद मिली।

मोंटेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार और भारत सरकार अधिनियम, 1919

- यह सुधार वर्ष 1921 में लागू हुआ। मोंटेग्यू, भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे।
- केंद्रीय विधान सभा के निर्वाचन भारत सरकार अधिनियम, 1919 के तहत वर्ष 1926 और 1945 में हुए थे।
- सिखों, भारतीय ईसाइयों, एंग्लो-इंडियंस और यूरोपियंस के लिए अलग-अलग निर्वाचन मंडल।
- सिविल सेवकों की भर्ती के लिए एक केंद्रीय सेवा आयोग स्थापित करने का प्रावधान।
- केंद्रीय और प्रांतीय विषयों का पृथक्करण और प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित विषयों और आरक्षित विषयों में विभाजित किया गया।
- वायसराय की कार्यकारी परिषद के 8 सदस्यों में से 3 भारतीय होने का प्रावधान।
- द्विसदनीयवाद और प्रत्यक्ष चुनावों का प्रावधान।

प्रांतीय सरकार (विधायी)

- विधान परिषदों का विस्तार और महिलाओं को मतदान का अधिकार: विधान परिषदों का विस्तार किया गया और महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया गया।
- गवर्नर की शक्तियाँ: गवर्नर को विधेयकों पर वीटो लगाने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार था।
- विधायकों की स्वतंत्रता: विधायकों को भाषण की स्वतंत्रता प्राप्त थी

विधान मंडल

- द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई।
- राज्य परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का था जिसमें सदस्य केवल पुरुष थे।केवल पुरुष सदस्य थे।
- केन्द्रीय विधान सभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था।
- भारत सचिव को ब्रिटिश राजकोष से वेतन दिया जाएगा।

भारत सरकार अधिनियम, 1919

प्रांतीय सरकार (कार्यकारी)

- द्वैत शासन: प्रांतों में द्वैत शासन पद्धति लागू की गई, जिसमें कार्यकारी परिषद के सदस्य और प्रसिद्ध मंत्रीगण दोनों शामिल थे।
- विषयों का विभाजन: विषयों को दो सूचियों में विभाजित किया गया था: 'आरक्षित' और 'हस्तांतरित' विषय।
 - आरक्षित विषय: गवर्नर द्वारा अपनी कार्यकारी परिषद के माध्यम से प्रशासित।
 - हस्तांतरित विषय: विधान परिषद के निर्वाचित सदस्यों में से मनोनीत मंत्रियों द्वारा प्रशासित।
- मंत्रियों की उत्तरदायित्व: मंत्री विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाए गए थे, जबकि कार्यकारी परिषद के सदस्य विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे।
- संवैधानिक तंत्र की विफलता: प्रांत में संवैधानिक तंत्र की विफलता के मामले में, हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा किया जाएगा। भारत सचिव और गवर्नर-जनरल आरक्षित विषयों के संबंध में हस्तक्षेप कर सकते थे, जबकि हस्तांतरित विषयों के संबंध में, उनके हस्तक्षेप का दायरा सीमित था

केन्द्र सरकार— (कार्यकारी)

- अखिल भारतीय स्तर पर गैर-जवाबदेह सरकार: केंद्र सरकार पूरी तरह से गैर-जवाबदेह थी।
- गवर्नर-जनरल का प्रमुख कार्यकारी अधिकार: गवर्नर-जनरल ही मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे।
- वायसराय की कार्यकारी परिषद: वायसराय की कार्यकारी परिषद में आठ सदस्य थे, जिनमें से तीन भारतीय होने थे।
- प्रांतों में आरक्षित विषय: प्रांतों में आरक्षित विषय गवर्नर-जनरल के नियंत्रण में थे।
- गवर्नर-जनरल की शक्तियाँ: गवर्नर-जनरल को मांगो पर कटौती का अधिकार, केंद्र विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत विधेयकों को प्रमाणित करने और अध्यादेश जारी करने का अधिकार था

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

- बॉम्बे अधिवेशन, 1918: हसन इमाम की अध्यक्षता में आयोजित विशेष अधिवेशन में, कांग्रेस ने इन सुधारों को "निराशाजनक" और "असंतोषकारी" करार दिया और इसके बजाय प्रभावी स्वशासन की मांग की।
- एनी बेसेंट द्वारा आलोचना: एनी बेसेंट ने सुधारों को "इंग्लैंड द्वारा पेश करने और भारत द्वारा स्वीकार करने के लिए अयोग्य" पाया।
- सुरेंद्रनाथ बनर्जी का समर्थन: सुरेंद्रनाथ बनर्जी वे सरकार के इन प्रस्तावों को स्वीकार करने के पक्ष में थे।

रोलेट एक्ट (1919)

- रोलेट एक्ट का नाम: रोलेट एक्ट को आधिकारिक रूप से अराजकतावादी और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहा जाता था।
- समिति का गठन: भारतीय लोगों के 'राजद्रोह षड्यंत्र' की जांच के लिए सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में सेडिशन समिति की सिफारिश पर यह अधिनियम बनाया गया था।
- बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार: अधिनियम ने भारतीयों को केवल राजद्रोह के संदेह पर बिना वारंट गिरफ्तार करने की अनुमति दी। इस पैनल से ऊपर कोई अपीलिय अदालत नहीं थी।
- बंदी प्रत्यक्षीकरण का निलंबन: इस अधिनियम के अनुसार, बंदी प्रत्यक्षीकरण का कानून निलंबित कर दिया गया था और भारत में भाषण और सभा की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध फिर से लगा दिए गए थे।

रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह – प्रथम जन आन्दोलन

- रोलेट एक्ट का विरोध: गांधीजी ने रोलेट एक्ट को "काला कानून" कहा और अखिल भारतीय स्तर पर एक सामूहिक विरोध का आह्वान किया।
- सत्याग्रह सभा का गठन: फरवरी 1919 में, गांधीजी ने एक सत्याग्रह सभा का आयोजन किया और होम रूल लीग्स और पैन इस्लामिस्ट्स के युवा सदस्यों को इसमें शामिल किया।

- प्रतिरोध के तरीके: देशव्यापी हड़ताल (हड़ताल) के साथ-साथ उपवास और प्रार्थना, कुछ प्रमुख कानूनों की सविनय अवज्ञा और गिरफ्तारियाँ देने की योजनाएं बनाई।
- सत्याग्रह का आरंभ: सत्याग्रह 6 अप्रैल, 1919 को शुरू किया जाना था।
- पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर: उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ'डवायर थे।

जलियाँवाला बाग नरसंहार (13 अप्रैल, 1919)

- 6 अप्रैल, 1919 को गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद 9 अप्रैल को राष्ट्रवादी नेताओं, सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल को भी ब्रिटिश अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया।
- एक वरिष्ठ ब्रिटिश अधिकारी ब्रिगेडियर-जनरल रेजिनाल्ड डायर को गिरफ्तारियों के बाद पंजाब में मार्शल लॉ लागू करने और व्यवस्था बहाल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्होंने बिना पास के शहर से बाहर जाने और प्रदर्शन या जुलूस आयोजित करने या तीन या अधिक लोगों के समूह में इकट्ठा होने पर प्रतिबंध की एक उद्घोषणा जारी की।
- निषेधात्मक आदेशों से अनजान लोग बैसाखी के दिन जलियाँवाला बाग में इकट्ठा हो गए। ब्रिगेडियर-जनरल डायर वहाँ पहुंचे और बिना किसी चेतावनी के निर्दोष भीड़ पर गोलीबारी का आदेश दिया।
- इस घटना के विरोध में, रवींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी।
- गांधीजी ने बोअर युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदान की गई 'केसर-ए-हिंद' की उपाधि त्याग दी।
- गांधीजी ने 18 अप्रैल, 1919 को आंदोलन वापस ले लिया था, क्योंकि उनके सत्याग्रह में हिंसा को कोई स्थान नहीं था। उधम सिंह, जो राम मोहम्मद सिंह आजाद के नाम से जाने जाते थे, उन्होंने 1940 में लंदन में माइकल ओ'डायर की हत्या कर दी। उधम सिंह को इस हत्या के लिए फांसी दे दी गई।
- 14 अक्टूबर, 1919: जलियाँवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए हंटर्स आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के सदस्यों में तीन सदस्य भारतीय थे, जिनमें सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़, पंडित जगन्नाथ और सरदार साहिबजादा सुल्तान शामिल थे।
- सरकार द्वारा अपने अधिकारियों की सुरक्षा के लिए पारित किए गए 'क्षतिपूर्ति अधिनियम' (इंडेमनिटी एक्ट) के कारण इस आयोग ने डायर पर कोई दंडात्मक या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की।
- सी. शंकरन नायर, वायसराय परिषद के एकमात्र भारतीय सदस्य ने रोलेट एक्ट का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया।

खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन

जन आंदोलन

- 1919-1922: भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन चलाया गया था। इन आंदोलनों में अहिंसा और असहयोग की एकीकृत कार्य योजना अपनाई।

कारण

- रोलेट एक्ट, पंजाब में मार्शल लॉ को लागू करना जिससे जलियाँवाला बाग हत्याकांड के दौरान विदेशी शासन का क्रूर और असभ्य चेहरा उजागर हुआ
- पंजाब अत्याचारों पर हंटर आयोग दिखावटी साबित हुआ तथा हाउस ऑफ लॉर्ड्स (ब्रिटिश संसद का) ने जनरल डायर के कार्यों का समर्थन किया।

- मांटैग्यू--चेम्सफोर्ड सुधार की द्वैध शासन प्रणाली, भारतीयों की स्वशासन की बढ़ती मांग को पूरा करने में विफल रहे।
- युद्ध के बाद के वर्षों में देश की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, जिसमें वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि, भारतीय उद्योगों के उत्पादन में कमी, करों और किरायों का बोझ बढ़ना आदि शामिल था।

खिलाफत का मुद्दा

- दुनिया भर में मुसलमान तुर्की के सुल्तान को अपना आध्यात्मिक नेता - खलीफा मानते थे। उन्होंने मांग की कि खलीफा मुस्लिम पवित्र स्थानों पर नियंत्रण बनाए रखे और क्षेत्रीय व्यवस्था के बाद पर्याप्त क्षेत्र छोड़ दिए जाएं।
- ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के बाद खलीफा को अपने पद से हटा दिया क्योंकि तुर्की ने युद्ध के दौरान ब्रिटेन के खिलाफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ गठबंधन किया था।
- 1919 की शुरुआत में, अली बंधुओं (शौकत अली और मोहम्मद अली), मौलाना आजाद, अजमल खान और हसरत मोहानी के नेतृत्व में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया, ताकि ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने के लिए मजबूर किया जा सके।

खिलाफत का विकास - असहयोग कार्यक्रम

- नवम्बर 1919 में, दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन ने ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया। समिति के अध्यक्ष के रूप में गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट करने का लक्ष्य रखा। हालांकि, एम.ए. जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का विरोध किया, क्योंकि वे मानते थे कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका समर्थन किया।
- मई 1920: सेब्रीज की संधि पर हस्ताक्षर किए गए, जिसने तुर्की का विभाजन कर दिया।
- जून 1920: गांधीजी को इलाहाबाद में एक सर्वदलीय सम्मेलन में स्कूलों, कॉलेजों और कानूनी अदालतों के बहिष्कार के कार्यक्रम का नेतृत्व करने के लिए कहा गया। गांधीजी ने अगस्त, 1920 से एक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया।
- सितंबर 1920: कलकत्ता में कांग्रेस के एक विशेष सत्र में, गांधीजी ने अहिंसक, असहयोग आंदोलन शुरू किया। जिसे कांग्रेस ने मंजूरी दे दी।
- कार्यक्रम के निम्नलिखित उद्देश्य थे:
 - ✓ पंजाब (जलियाँवाला बाग हत्याकांड) मुद्दे पर सरकार खेद प्रकट करे और लोगों के साथ ज्यादतियों का निराकरण करे।
 - ✓ खिलाफत का मुद्दा।
 - ✓ शांतिपूर्ण और वैध तरीकों का उपयोग करके भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना।
- असहयोग के तरीकों में शामिल थे:
 - ✓ सरकार द्वारा संचालित शैक्षिक संस्थानों का बहिष्कार।
 - ✓ कानूनी अदालतों का बहिष्कार और इसके बजाय पंचायतों के माध्यम से न्याय का कार्य सम्पादन।
 - ✓ विधान परिषदें का बहिष्कार।
 - ✓ विदेशी कपड़ों का बहिष्कार और खादी का उपयोग।

अन्य विधियाँ

- हथकरघा प्रथा को बढ़ावा देना।
- सरकारी सम्मान और उपाधियों का त्याग करना
- कर न देने का अभियान शुरू करना।
- हिंदू-मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और अस्पष्टता को दूर करने के लिए काम करना।

दिसंबर, 1920: नागपुर सत्र (अध्यक्ष-सी. विजयराघवचारी) का समर्थन-

- असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम का अनुमोदन किया गया
- शांतिपूर्ण और वैध तरीकों का उपयोग करते हुए जन संघर्ष के माध्यम से स्वराज की प्राप्ति।
- कांग्रेस का नेतृत्व करने के लिए 15 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया गया।
- सदस्यता शुल्क घटाकर 25 पैसे कर दिया गया।
- प्रांतीय कांग्रेस समितियों का आयोजन भाषाई आधार पर किया गया।

आंदोलन का प्रसार

- गांधीजी ने अली बंधुओं के साथ देश भर का दौरा किया।
- हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल और कॉलेज छोड़ दिए।
- 1920 में अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना, 1921 में काशी विद्यापीठ के साथ-साथ गुजरात विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई।
- मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सी.आर. दास आदि जैसे कई वकीलों ने अपनी वकालत छोड़ दी
- विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और सार्वजनिक रूप से जलाया गया जिससे आयात घटकर आधा रह गया।
- विदेशी शराब और सामान बेचने वाली दुकानों पर धरना दिया।
- आंदोलन के वित्तपोषण के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई जो अपने लक्ष्य से भी आगे निकल गया और इससे एक करोड़ रुपये एकत्र किए गए।
- कांग्रेस की स्वयंसेवी सेनाएँ स्थापित की गईं।
- जुलाई 1921: अली बंधुओं ने मुसलमानों से सेना (ब्रिटिश आर्मी) से इस्तीफा देने को कहा क्योंकि वे इसे अधार्मिक मानते थे
- गांधीजी ने इस आह्वान का समर्थन किया और कांग्रेस समितियों द्वारा एकराय होकर प्रस्ताव पारित किया गया। इसके लिए अली बंधुओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
- देश के विभिन्न हिस्सों में भी स्थानीय आंदोलन भड़क उठे जैसे अवध किसान आंदोलन (यूपी), एका आंदोलन (यूपी), मोपला विद्रोह (मालाबार) और पंजाब में सिख आंदोलन।

आंदोलन के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया

- मध्यवर्ग के लोगों ने आंदोलन के शुरुआती दौर में भाग लिया, हालांकि बाद में गांधी के कार्यक्रम की खामियों(शिकायतों) के कारण वे दूर रहे।

- छोटे व्यापारी समूहों ने आंदोलन का समर्थन किया, क्योंकि आर्थिक बहिष्कार से आयात कम हो गया था और उन्हें स्वदेशी के उपयोग से लाभ हुआ। बड़े व्यापारी समूह आंदोलन के प्रति संशयवादी बने रहे, उन्हें अपने कारखानों में श्रमिक अशांति का डर था।
- किसानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया।
- छात्र आंदोलन के सक्रिय स्वयंसेवक बन गए और उनमें से हजारों ने सरकारी स्कूलों और कॉलेजों का बहिष्कार किया और राष्ट्रीय स्कूलों और कॉलेजों में दाखिल हो गए।
- महिलाएं बड़ी संख्या में बाहर आईं और यहां तक कि तिलक फंड के लिए अपने आभूषण भी अर्पित किए। उन्होंने विदेशी कपड़ा और शराब बेचने वाली दुकानों के धरने में सक्रिय भाग लिया।
- मुसलमानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया और मोपला विद्रोह जैसी घटनाओं के बावजूद आंदोलन सांप्रदायिक एकता के साथ चिह्नित था।

सरकार की प्रतिक्रिया

- पुलिस ने गोलीबारी का सहारा लिया जिसमें कई लोगों की जान चली गई।
- कांग्रेस और खिलाफत स्वयंसेवक संगठनों को गैरकानूनी और अवैध घोषित कर दिया गया।
- सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया और गांधीजी को छोड़कर अधिकांश नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया।
- सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर कड़ी दमनात्मक कार्रवाई की।
- स्वयंसेवक सेना को अवैध घोषित कर दिया गया एवम् प्रेस को प्रतिबंधित कर दिया गया

चौरी चौरा कांड

- 5 फरवरी, 1922: पुलिस ने शराब की बिक्री और खाद्यान्न के मूल्यों में हुई वृद्धि के खिलाफ प्रचार करने वाले स्वयंसेवकों के एक समूह के नेता को पीटा और फिर गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में 3000 किसानों के एक कांग्रेस जुलूस पर गोलीबारी कर दी।
- इससे बदला लेने के लिए, आक्रोशित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई।
- गांधी ने आंदोलन के हिंसक रुझान को देखते हुए तुरंत असहयोग आंदोलन वापस लेने की घोषणा कर दी।
- 12 फरवरी 1922: कांग्रेस कार्य समिति की बड़ौली (गुजरात) में बैठक हुई और असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया।
- सी.आर. दास, मोतीलाल नेहरू, सुभाष बोस, जवाहरलाल नेहरू ने आंदोलन के स्थगन का समर्थन नहीं किया।
- मार्च 1922 में गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया और छह साल जेल की सजा सुनाई गई।

गांधीजी ने असहयोग आंदोलन वापस क्यों लिया?

- गांधीजी ने आंदोलन को उसके अहिंसक स्वभाव के लिए स्थगित कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि इस तरह की हिंसा को औपनिवेशिक शासन द्वारा आसानी से दबा दिया जा सकता है।
- आंदोलन धीरे-धीरे उबाऊ या थकानेवाला बन रहा था। इसलिए आंदोलन को रोकने की जरूरत थी।
- आंदोलन का मुख्य मुद्दा खिलाफत भी, अब अधिक प्रासंगिक नहीं था क्योंकि नवंबर 1922 में, तुर्की के लोग मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में उठ खड़े हुए और सुल्तान को राजनीतिक शक्ति से वंचित कर दिया। तुर्की को तब एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाया गया था।

असहयोग आंदोलन का महत्व

- शहरी मुसलमानों को आंदोलन के दायरे में लाया गया जिससे हिंदू-मुस्लिम एकता अपने चरम पर थी।
- नेताओं ने देश का व्यापक दौरा किया और जनसंख्या के हर वर्ग - कारीगरों, किसानों, छात्रों, शहरी गरीबों, महिलाओं, व्यापारियों आदि का राजनीतिकरण किया।
- जनता ने अब औपनिवेशिक शासन और उसकी दमनकारी नीतियों के प्रति भय कम हो गया था।
- गांधीजी एक निर्विवाद नेता के रूप में उभरे और कांग्रेस को एक अभिजात संगठन से जन आधार संगठन में बदल दिया।
- आंदोलन की एक विस्तृत भौगोलिक पहुंच थी क्योंकि जिन वर्गों ने कभी भाग नहीं लिया था, उन्होंने भी इस आंदोलन में भाग लिया जैसे राजस्थान का बिजोलिया आंदोलन।
- शराब विरोधी अभियान से पंजाब, बिहार आदि में राजस्व का काफी नुकसान हुआ था।
- आंदोलन ने पहली बार अस्पष्टता के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर लाया।
- जामिया मिलिया इस्लामिया, काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ जैसे राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थापित किए गए।

